उत्तराखण्ड सरकार पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) तथा अन्य प्रकार के बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु नीति-2018

उत्तराखण्ड सरकार

संख्या-901/I/2018/03/06(05)/07/2004

ऊर्जा अनुभाग-01

देहरादूनः दिनांकः 03, अगस्त, 2018

पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) तथा अन्य प्रकार के बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु नीति-2018

प्रस्तावना

विद्युत का उत्पादन और उसके उपयोग को प्रत्यक्ष रूप से देश की प्रगति से जोड़ा जाता है और यह आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य घटक है। अतः चहुंमुखी विकास के लिए अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों हेतु नीति निर्माण के समय विद्युत का उत्पादन और उसके उपयोग पर अत्यधिक बल दिया जाता है। विश्वभर में विद्युत की मांग में लगातार हो रही वृद्धि के कारण जीवाश्म ईधनों, जिनका उपयोग वर्तमान में विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है, के भण्डारों में लगातार कमी होती जा रही है। अतः हाल के वर्षो में विद्युत उत्पादन हेतु ईधन के ऐसे वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है जो नवीकरणीय एवं जैविक रूप से नष्ट होने के साथ-साथ पारम्परिक ईधन के सापेक्ष आर्थिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से अनेक रूप से लाभदायक होते हैं।

उत्तराखण्ड में बायोमास के रूप में पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राज्य में कुल वन क्षेत्र में से 16.36 प्रतिशत (399329 हैक्टेयर) क्षेत्र चीड़ के बनों से आच्छादित है। सुरक्षित और वन पंचायत (वन्य जीव क्षेत्र को छोड़कर) के वनों में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख मीट्रिक टन से अधिक पिरूल जनित होता है। यदि इस मात्रा में से 40 प्रतिशत भाग पारम्परिक उपयोग तथा संग्रहण के आयोग्य समझते हुए पृथक कर लिया जाय तो भी लगभग 06 लाख मीट्रिक टन पिरूल प्रतिशत औद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध होगा। पिरूल के अतिरिक्त राज्य में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए लगभग 8 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष अन्य प्रकार के बायोमास (कृषि उपज अवशेष, लैनटाना, इत्यादि) भी उपलब्ध है।

उपरोक्त अधार पर राज्य में बायोमास से प्रतिवर्ष 150 मेगावाट से अधिक विद्युत के उत्पादन की सम्भावना है। ऊर्जा उत्पादन के इस अप्रयुक्त स्रोत के दोहन से 250 किलोवाट क्षमता तक की विद्युत उत्पादन ईकाईयां तथा 2000 मीट्रिक टन तक की ब्रिकेटिंग/बायो-आयल स्थापित करने से न केवल स्थानीय विद्युत आवश्यकता की पूर्ति होगी बल्कि इनसे रोजगार सृजन तथा राजस्व सृजन मे भी सहायता मिलेगी।

अतः राज्य में बायोमास पर आधारित विद्युत परियोजनाओं के उन्नयन के लिय यह आवश्यक है कि विस्तृत नीति तैयार की जाय जिसका उद्देश्य यह हो कि समस्त हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के लिए समुचित वातावरण तैयार करके उत्तराखण्ड में जैव-ईंधन पर आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को त्वरित गति मिल सके।

उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य में पिरूल तथा अन्य बायोमास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने और विद्युत उत्पादन के लिये इनकी उपयुक्ता के दृष्टिगत नीति निम्नालिखित उद्देश्यों की पूर्ति करेगा-

1. राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये पर्यावरण हितैषी, अक्षय ऊर्जा सो्रत तथा उनके दोहन का विकास करने के लिये,
2. पिरूल द्वारा जंगलों में लगने वाली आग जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में पर्यावरण, जीव-जन्तु और पेड़-पौधों की क्षति को न्यून करने के लिये,
3. पिरूल द्वारा होने वाले पारिस्थितिकीय अन्वयन को घटाने के लिए,
4. पिरूल तथा अन्य बायोमास को प्रयोग में ला कर नवीनीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के उन्नयन के लिये,
5. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सम्भावनाओं की सृजित करने ताकि राज्य से पलायन को रोका जा सके,
6. विशेष रूप से राज्य में पिरूल (चीड़ की पत्तियों) तथा अन्य बायोमास का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र एवं सामुदायिक सहभागिता हेतु माहौल तैयार करने के लिए-

(एक) स्थायी नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और

(दो) कृषि, लघु उद्योग, वाणिज्यिक और आवासीय वर्ग को विकेन्द्रित रूप से विद्युत उपलब्ध कराने के लिए।

लक्ष्य

पिरूल और अन्य बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन एक नई पहल है और यह नीति वर्ष 2030 तक निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने की परिकल्पना के साथ तैयार की गई है:-

- वर्ष 2019 तक 1.0 मेगावाट विद्युत परियोजनाओं का अधिष्ठापन,
- वर्ष 2021 तक 5 मेगावाट विद्युत परियोजनाओं का अधिष्ठापन,
- वर्ष 2030 तक 100 मेगावाट विद्युत परियोजनाओं का अधिष्ठापन,
- वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष अधिकतम 2000 मी0टन क्षमता के 50 बायोमास आधारित ब्रिकेटिंग संयत्रों का अधिष्ठापन

2. <u>संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ</u>

- इस नीति का संक्षित नाम ''पिरूल (चीड़ की पत्तियां) तथा अन्य प्रकार के बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु नीति-2018'' है।
- यह उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित किये जाने वाले सभी पिरूल और अन्य बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन हेतु नीति और ब्रिकेटिंग परियोजनाओं पर लागू होगी।
- यह राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी होगी।

2. <u>परिभाषायें</u> नीति में प्रयुक्त निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जैसा नीचे उनके लिए दिये गये हैः-

(क) ''आवेदक/निविदादाता'' से इस नीति के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में पिरूल (चीड़ की पत्तियों) और अन्य बायोमास पर आधारित विद्युत परियोजना के संस्थापन हेतु आशायित प्रतिभाग करने वाले **''समुदाय आधारित संगठन" (सी0बी0ओ0)** के साथ संयुक्त उद्यम/सहयता संघ या **''समुदाय आधारित संगठन'' (सी0बी0ओ0)** के अतिरिक्त अन्य कोई अभिकरण अभिप्रेत है।

(ख) " पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) एवं अन्य बायोमास" से तात्पर्य चीड़ के पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां तथा लेन्टाना से है।

(ग) ''बायोमास आधारित विद्युत परियोजना'' से उत्तराखण्ड राज्य में 250 किलोवाट तक क्षमता की विद्युत परियोजना अभिप्रेत है।

(घ) "ब्रिकेटिंग/बायो-आयल परियोजना'' से उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिवर्ष 2000 मीट्रिक टन तक क्षमता के बायोमास आधारित ब्रिकेटिंग/बायो-आयल संयत्र अभिप्रेत है।

(ड) "सी0ई0आर0सी0'' से विद्युत अधिनियम, 2003 या उसके अत्तरवर्ती की धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है।

(च) "समुदाय आधारित संगठन'' (सी0बी0ओ) से वन पंचायत, ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) एवं उच्च स्तर के महासंघों के लिये समुदाय आधारित संगठन अभिप्रेत है।

(छ) "डिस्काम'' से उत्तराखण्ड के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली को संचालित और अनुरक्षण के लिए प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी अभिपे्रत है।

(ज) "विकासकर्ता'' से इस नीति के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में पिरूल और अन्य बायोमास आधारित विद्युत परियोजना को **समुदाय आधारित संगठन (सी0बी0ओ)** के साथ संयुक्त उद्यम/सहायता संघ या **समुदाय आधारित संगठन (सी0बी0ओ)** के अतिरिक्त अन्य कोई अभिकरण को आवंटन अभिप्रेत है।

(झ) "डी0पी0आर0" से विस्तृत परियोजना अभिप्रेत है।

(ञ) "वन विभाग" से उत्तराखण्ड सरकार का वन विभाग अभिप्रेत है।

(ट) "सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है।

(ठ) "ग्राम पंचायत" से उत्तराखण्ड राज्य में समय-समय पर यथा संशोधित पंचायत राज अधिनियम के अधीन निर्वाचित स्थानीय निकाय अभिप्रेत है।

(ड) "अंतर संयोजन बिन्दु" से संचारण प्रक्रिया या वितरण प्रक्रिया सहित बायोमास आधारित विद्युत परियोजना के सहती बिन्दु अभिप्रेत है, जो उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्रोतो और गैर जीवाष्ा ईधन आधारित सहउत्पादन केन्द्रों से विद्युत की आपूर्ति के लिए दरें और अन्य शर्ते) विनियमन, 2013 या समय-समय पर यथा संशोधित में यथा परिभाषित विद्युत अंतरण की ओर एच0बी0 पर बाहर जाने वाली फीडर के आयसोलेटर तार से होंगी।

(ढ) "एम0ओ0यू0" से बायोमास आधारित विद्युत या ब्रिकेट परियोजना से सम्बन्धित सभी शर्तो और निर्बन्धनों, वित्तीय उपाशय, विस्तृत क्रियान्वयन अनुसूची इत्यादि से सम्बन्धित विवरण विकासकर्ता और उरेडा के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 अभिप्रेत है;

(ण) "आवंटन पत्र" से सफल विकासकर्ता को उरेडा द्वारा परियोजना के लिए दिया गया आवंटन पत्र अभिप्रेत है;

(त) "परियोजना अनुमोदन समिति" से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संरचित परियोजना अनुमोदन समिति अभिप्रेत है;

(थ) "नीति" से पिरूल (चीड़ की पत्तियों)और अन्य प्रकार के बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु नीति-2018 अभिप्रेत है;

(द) "विद्युत क्रय अनुबन्ध" से उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0 और परियोजना विकासकर्ता के मध्य हस्ताक्षरित विद्युत क्रय अनुबन्ध अभिप्रेत है;

(ध) "परियोजना स्थल" से ऐसा स्थल अभिप्रेत है जिसमें प्रस्तावित परियोजना अवस्थित है;

(न) "पी0टी0सी0यू0एल0" से पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड अभिप्रेत है;

(प) "उद्धत टैरिफ" से लागू उद्धत विद्युत शुल्क जैसा आवेदक/निविदादाता द्वारा उद्धत हो, अभिप्रेत है और जिसका अर्थ इन्टर कनेक्शन प्वाइंट से होगा।

(फ) "राज्य" से जब तक अन्यथा न कहा जाये उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(ब) "तकनीकी मूल्य निर्धारण समिति" से तकनीकी, वित्तीय और सामाजिक विशेषज्ञों से संरचित उत्तराखण्ड सरकार द्वारा गठित तकनीकी मूल्य निर्धारण समिति अभिप्रेत है;

(भ) "यू0ई0आर0सी0" से विद्युत अधिनियम, 2003 या उसके उत्तरवर्ती की धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन गठित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(म) "उरेडा" से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य नोडल अभिकरण के रूप में पदाभिहित उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण अभिप्रेत है, जो कि उत्तराखण्ड राज्य में सभी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये बाध्य है;

(य) "वन पंचायत" से उत्तराखण्ड राज्य में समय-समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड पंचायती वन नियमावली, 2005 के अधीन निर्वाचित स्थानीय निकाय अभिप्रेत है।

अभिव्यक्तियां जिन्हें ऊपर परिभाषित नही किया गया है उनके सामान्य अर्थान्वयन होंगे।

3. <u>नोडल अभिकरण</u>

राज्य में इस नीति के क्रियान्वयन के लिए वन विभाग एवं उरेडा अभिकरण के रूप में कार्य करेगें-

<u>(क) वन विभाग निम्नलिखित के लिये अधिकृत होगा, अर्थातः-</u>

(i) पिरूल और अन्य बायोमास के संग्रहण हेतु क्षेत्र के चिन्हाकन के लिए आकस्मिक तथा उससे जुड़ी हुयी गतिविधियों,

(ii)आवंटित क्षेत्र से पिरूल और अन्य बायोमास के संकलन के लिए परियोजना विकासकर्ता को सहमति प्रदान करना।

(iii)परियोजना स्थलों का चिन्हांकन,

(iv)विकासकर्ता द्वारा वनो से बायोमास को हटाने के लिये लेवी लागू करेगा (यदि कोई हो)।

<u>(ख) उरेडा निम्नलिखित के लिये अधिकृत होगा, अर्थातः-</u>

(i) विद्युत उत्पादन और जैव ब्रिकेट के लिए विकासकर्ताओं का चयन,

(ii) निष्पादन के दौरान अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण,

(iii) आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिय परियोजना विकासकर्ताओं को सहायता उपलब्ध कराने,

(iv) केन्द्र और राज्य सरकार से मिलने वाली छूट (यदि कोई हो) उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

सरकार राज्य में पिरूल और अन्य बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन के क्रियान्वयन के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा।

4. **<u>क्षमता सीमा</u>**

प्रत्येक विकासकर्ता को न्यूनतम 10 कि0वा0 क्षमता का आवंटन एवं अधिकतम 250 कि0वा0 क्षमता का आवंटन होगा परन्तु केन्द्र एवं राज्य सरकार की एजेन्सी/निगमों को परियोजना आवंटन हेतु कोई अधिकतम क्षमता सीमा नही होगी।

5. <u>पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) और अन्य बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन संयत्र और ब्रिकेटिंग ईकाई के अधिष्ठापन हेतु क्षेत्र के चिन्हाकन के लिए प्रक्रिया</u>

(1) वन विभाग से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मानचित्र तैयार करते समय विद्युत उत्पादन या ब्रिकेट परियोजनाओं की क्षमता/मात्रा को स्पष्ट किया जायेगा, जिससे कि विशिष्ट संकलन क्षेत्रों से एकत्रित बायोमास का उपयोग किया जा सकें।

(2) जनपदवार चिन्हाकित सम्भावित क्षेत्रों की सूची को जिला स्तरीय नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा प्रत्येक जिले के लिए अंतिमीकरण किया जायेगा। इस समिति द्वारा परियोजना स्थापना के दौरान कार्यों का अनुश्रवण भी किया जायेगा। **(परिशिष्ट-1)**

(3) जिला स्तरीय समिति द्वारा सम्भावित क्षेत्रों की सूची आवंटन हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।

6. <u>पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) और अन्य बायोमास आधारित परियोजनाओं के</u>

1. <u>विद्युत उत्पादन परियोजाओं का आवंटनः-</u>

(i) निम्नलिखित किसी भी पात्र आवेदक द्वारा स्वयं अथवा सी0बी0ओ0 के साथ संयुक्त उद्यम/सहायता संघ बनाकर उपलब्ध चिन्हाकिंत क्षेत्रों के लिये प्रस्ताव देने हेतु विज्ञापित किया जायेगाः-

(क) उत्तराखण्ड की सोसाइटी (सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अन्त्रतगत पंजीकृत)।

(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम, 1965 के अधीन इकाई।

(ग) उत्तरखण्ड आत्म निर्भर सहकारी समिति अधिनियम-2003 के तहत पंजीकृत इकाई।

(घ) स्वामित्व/भागीदारी/प्रा0लि0 फर्म जो उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत हो।

(ड) उत्तराखण्ड के जिलो उद्योग कार्यालयों में पंजीकृत उद्योग, रेजिंन इकाईयों सहित।

(ii) यद्यपि संयुक्त उद्यम/कनसोर्टियम में सी0बी0ओ0 का कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सा होना चाहिये।

(iii) निर्धारित आवेदन प्रारूप के अनुसार पात्र आवेदकों से आवेदन आंमत्रित किये जायेगें। **(परिशिष्ट-2 (अ एवं ब)।** आवेदक अपने प्रस्तावों को दो अलग-अलग लिफाफे में जमा करेगे, जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेज/सूचना शामिल है। पहले लिफाफे में पूर्णतः भरे हुए आवेदन फार्म **(परिशिष्ट-2 (अ)**में निर्धारित), तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता के बारे में दस्तावेज/साक्ष्य एवं प्रशस्करण शुल्क इत्यादि शामिल होगा। दूसरे लिफाफा में केवल वित्तीय बोली होगी जिसमें लेबलाईज फिक्स टैरिफ इन्टर कनेक्शन प्वाइंट तक उद्धत होगा। **(परिशिष्ट-2 (ब)** में निर्धारित)

(iv) समय-समय पर यू0ई0आर0सी0 द्वारा बायोमास गैसीफायर परियोजनाओं हेतु लेबलाईज फिक्स दर एवं अस्थिर दर निर्धारित की जाती है। लेबलाइज फिक्स दर परियोजना के जीवन के लिये निर्धारित की जाती है ओर प्रत्येक वर्ष में परिवर्तनीय दर कुछ मानक परिर्वतन के साथ भिन्न होती है। आवेदक को दूसरे लिफाफे में केवल वित्तीय बोली में लेबलाइज फिक्स टैरिफ ही उद्धृत करना होगा। प्रत्येक वर्ष के लिये परिवर्तनीय दर समय-समय पर यू0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित दरों के समान होगी।

(v) लेबलाइज फिक्स टैरिफ यू0ई0आर0सी0 के विनियम-2013 में उल्लेखित दरों से अधिक नही होगा। लेबलाईज उद्धृत फिक्स टैरिफ इन्टर कनेक्शन प्वाइंट तक होगा एवं कोई बहिष्करण की अनुमति नही दी जायेगी। आवेदक ऐसे टैरिफ को उद्धरण देते पूंजी और परिचालन लागत, वैधानिक कर, लेवी कर, कर्तव्यों सहित सभी लागतों को ध्यान में रखेगा। इसमें इन्टर कनेक्शन प्वाइंट तक ट्रांसमिशन लागत एवं ट्रांसमिशन हानि (यदि कोई हो) भी सम्मिलित होगा।

(vi) 20 वर्ष के लिये सबसे कम लेबलाईज फिक्स टैरिफ उद्धरण करने वाले ऐसे आवेदक कर्ता को सफल विकासकर्ता घोषित किया जायेगा।

(vii) विद्युत उत्पादन हेतु अर्ह आवेदनकर्ताओं में यदि दो या अधिक आवेदनकर्ताओं द्वारा घोषित लेबलाईज फिक्स टैरिफ समान पाया जाता है तो ऐसी दशा में सी0बी0ओ0 के साथ संयुक्त उद्यम/कन्सोर्टियम बनाकर आवेदन करने वाली फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. ब्रिकेटिंग/बायो-आयल यूनिट के संबंध में धारा 6 (1) में वर्णित कोई भी योग्य आवेदक निर्धारित प्रारूप **परिशिष्ट-3** पर आवेदन कर सकते है। ब्रिकेट/बायो आयल ईकाई के सफल निविदादाता को रू0 100/-प्रति मी0टन क्षमता के अनुसार ब्रिकेट ईकाई की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी।

3. प्रत्येक आवेदक पत्र के साथ रू0 2000/-मात्र का अप्रतिदेय मांग ड्राफ्ट प्रक्रिया शुल्क के रूप में संलग्न किया जायेगा।

4. निविदादाताओं से निर्धारित समय के भीतर प्राप्त प्रस्तावों की विहित **(परिशिष्ट-4** में यथा परिभाषित) वित्तीय और तकनीकी प्रक्रियाओं पर आधारित तकनीकी मूल्य निर्धारण समिति द्वारा संनिरीक्षा कर उन्हें लघु सूचीकर किया जायेगा।

5. सफल **निविदादाता** को परियोजना का अंतिम आवंटन परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा **(परिशिष्ट-5** में यथा परिभाषित) किया जायेगा।
6. विद्युत उत्पादन परियोजना के सफल निविदादाता को रू0 1000/-प्रति किलो वाट की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगीं।
7. प्रतिभूति धनराशि देहरादून में देय निदेशक उरेडा के पक्ष में किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट एफ0डी0आर0, सी0डी0आर0 अथवा बैंक गारन्टी के रूप में होगी।
8. बैंक प्रतिभूति परियोजना के सफल वाणिज्यिक संचालन की तारीख के पश्चात् सफल विकासकर्ता को वापस कर दी जायेगी।
9. राज्य सरकार के किसी अभिकरण या अन्य शासकीय निकाय द्वारा स्थल हेतु प्रस्ताव दिये बिना सीधे ही जैव आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने में कोई प्रतिषेध नहीं होगा।

7. मूल्यांकन /पूर्व अर्हता प्रक्रिया:-

1. तकनीकी अर्हता:-

आवेदकों द्वारा संयत्र और मशीनों की आपूर्तिदाता फर्म के साथ तकनीकी समन्वय का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना होगा। इस संबंध में आवेदक द्वारा आवेदक पत्र के साथ पूर्ण तकनीकी विवरण की सूचना जमा करनी होगी।

2. वित्तीय अर्हता (कुल मूल्य):-

कुल मूल्य (नेटवर्थ) प्रस्तावित विद्युत परियोजना के न्यूनतम रू0 10000/-प्रति कि0वाट0 होना चाहिये। इस संबंध में आवेदकों द्वारा बैंको से उनकी वित्तीय क्षमता को सम्यक रूप से प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र अथवा चार्टेड एकाउन्टेन्ट से कुल मूल्य (नेटवर्थ) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

8. विकासकर्ता का चयन और अन्तिमीकरण

1. प्राप्त निविदा को तकनीकी मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निविदा में उल्लिखित शर्तो और निबन्धनों तथा नीति के दिशा-निर्देशों के क्रम में मूल्यांकित किया जायेगा। समिति प्राप्त निविदा की अधिक प्रभावी संविक्षा के प्रयोजन हेतु तकनीकी विशेषज्ञ/विशेषज्ञों का भी सहयोग लेंगी।
2. आवेदकों की सूची तकनीकी मूल्य निर्धारण/समिति द्वारा संक्षिप्त कर अंतिम चयन और अनुमोदन के लिए परियोजना अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगी।
3. उक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित सफल निविदादाता को आवंटन का पत्र उरेडा द्वारा प्रतिभूति धनराशि के प्रस्तुत करने और उरेडा एवं सम्बन्धित खण्डीय वन अधिकारी के साथ आपसी समझौते के आधार पर हस्ताक्षर किया जायेगा।
4. यदि किसी मामले में आवेदक निर्धारित समयावधि के भीतर प्रतिभूति धनराशि को जमा करने में असफल रहता है तो आवंटन पत्र निरस्त समझा जायेगा।
5. आपसी समझौते में क्रियान्वयन अनुसूची, अनापत्ति प्राप्त करने, वन से बायोमास के संकलन की अवधि, रायल्टि तथा वन विभाग के अन्य अधिभार और अन्य सम्बन्धित सूचनाएं परिभाषित की जायेगी। **(परिशिष्ट-6)**

9. अपेक्षित अनापत्ति प्राप्त करने के लिए सूविधा

विकासकर्ता को समय-समय पर वन विभाग के स्थाई आदेश और दिशा-निर्देशों के अनुसार आवंटित परियोजना को स्थापित किया जायेगा। बायोमास आधारित परियोजनाओं के अधिष्ठापन से पूर्व आवेदक से विभिन्न विभागों यथा पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत, औद्योगिक विभाग इत्यादि से स्वीकृति/अनापत्ति प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी। उरेडा एकल खिड़की प्रक्रिया के माध्यम से समयबद्ध रूप में अपेक्षित अनापत्तियों हेतु सुविधा और सहयोग उपलब्ध करायेगा।

10. विकासकर्ताओं द्वारा निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जाने वाली गतिविधियाँ

नीति के खण्ड सं0 21 के अन्तर्गत विकासकर्ताओं द्वारा निर्धारित समयावधि में की जाने वाली गतिविधियाँ निम्नवत् होगीं:-

1. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना की आवश्यक वैधानिक अनापत्ति एवं अनुमोदन (यदि कोई हो) प्राप्त किया जाना होगा।
2. वित्तीय समापन हेतु विकासकर्ता द्वारा सम्पूर्ण परियोजना की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा।
3. विकासकर्ता द्वारा परियोजना को पूर्ण करना एवं संचालन करना होगा।
4. यदि किसी मामले में कोई विकासकर्ता निर्धारित समय में अनापत्ति/अनुमोदन प्राप्त करने या वित्तीय समापन प्राप्त करने या परियोजना को प्रारम्भ करने में असफल रहता है तो उरेडा उसके आवंटन पत्र को निरस्त करने और प्रतिभूति धनराशि को जब्त करने पर विचार कर सकता है।

11. <u>नीति के अधीन उपलब्ध प्रोत्साहन/लाभ</u>

1. उत्तराखण्ड राज्य पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) तथा अन्य प्रकार के बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु नीति-2018 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में आधारित विद्युत उत्पादन इकाई स्थापित किये जाने पर उसे एक उद्योग के रूप में समझा जायेगा और जैसा तथा जहां लागू हो विशेष समेकित, उत्तराखण्ड राज्य/भारत सरकार में प्रचलित एम0एस0एम0ई0 नीति-2015 के अन्तर्गत विहित लाभ प्राप्त करने के लिए अर्ह होंगें।
2. विकासकर्ता भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु अर्ह होंगे।
3. विकासकर्ता को विद्युत संयत्र द्वारा उत्पादित विद्युत पर विद्युत शुल्क के भुगतान में प्रथम10 वर्षो तक छूट प्रदान की जायेगी।
4. यदि विद्युत उत्पादन ईकाई को निजी भूमि क्रय कर अधिष्ठापित किया जाता है तो विकासकर्ता अभिलेखो के पंजीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क के भुगतान से मुक्त रहेंगें। यदि विकासकर्ता द्वारा इस कार्य हेतु क्रय की गई निजी भूमि का अन्यन्त्र उपयोग किया जाता है, तो ऐसी दशा में स्टाम्प शुल्क की राशि की वसूली सम्बन्धित विकासकर्ता से कर ली जायेगी।
5. वन पंचायतों द्वारा चीड़ की पत्तियों एवं अन्य बायोमास का संग्रहण मानव संसाधन द्वारा ही करना होगा (न कि किसी स्वचालित संयंत्र से), जिसके लिये हल्के औजार ही प्रयोग में लाये जा सकेंगे। वन उपज के संग्रहण हेतु ऐसे उपकरण वन क्षेत्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जिनसे वन क्षेत्रों को तात्कालिक अथवा भविष्य में वनों को हानि की आशंका हो।
6. उरेडा/वन विभाग बायोमास आधारित परियोजनाओं के अधिष्ठापन से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर सी0बी0ओ0 के लिए प्रशिक्षण पर क्षमता वृद्धि के लिए सहयोग देगा।
7. 25 कि0वा0 क्षमता के पाईन नीडिल आधारित पावर प्लान्ट के लिये मूल्य-आर्थिकी का नमूना विवरण **(परिशिष्ट-7)** पर दिया गया है। इस नमूना विवरण में उपभोग की जाने वाली तकनीक एवं यात्रों के आधार पर बदलाव हो सकता है।
8. इन परियोजनाओं के प्राकृतिक मित्रवत्त पर्यावरण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए विकासकर्ता स्वच्छ विकास तंत्र के अधीन उपलब्ध लाभों के दावे के लिए अर्ह होंगे। परियोजना विकासकर्ता समय-समय पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग/उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्वच्छ विकास तंत्र के लाभ को हस्तांतरित करेगा।

13. <u>उत्तराखण्ड राज्य में संचालित अन्य योजनाओं के साथ नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों का एकीकरण</u>

वनाग्नि के मामले लगातार देखे जा सकते है जिसका मुख्य कारण जंगलों में चीड़ की झड़ी हुई पत्तियों की उपलब्धता है। यह माना जाता है कि नियमित रूप से जंगलों में पड़े चीड़ की झड़ी हुई पत्तियों को हटाये जाने की आवश्यकता होती है। इस प्रयोजन के लिए स्थानीय समुदाय द्वारा चीड़ की झड़ी हुई पत्तियों के संग्रह की गतिविधि के

साथ उनके द्वारा संचालित योजनाओं से एकीकरण हेतु सम्बन्धित सरकारी विभागों द्वारा सामुहिक प्रयास किये जाने होंगें।

इसके अतिरिक्त एस0एच0जी0 एवं उनके उपरोक्त स्तर के महासंघो में, योजनाऐं जैसे की एमजीएनआरईजीएस, एनआरएलएम एवं अन्य सामुदायिक विकास आधारित केन्द्र/राज्य/ईएपी वित्त पोषित योजनाओं को बुनियादी सुविधाओं और अन्य वित्तीय सहायता से जोडा जा सकता है। केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा देय वित्तीय सहायता शामिल करने के लिये सी0बी0ओ0 के लिये ब्याज सहायता योजना भी इस योजना से जुड़ी होगी।

14. दर

1. विद्युत की दरे समय-समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित दर से अधिक नही होंगी। बायोमास आधारित विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत को उत्तराखण्ड विद्युत कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रय किया जायेगा। इसके अनुसरण में विद्युत संयत्र विकासकर्ता से उत्तराखण्ड विद्युत कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ उसमे उल्लिखित शर्तो एवं निर्बधनों के अनुरूप एक विद्युत क्रय अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा।
2. राज्य के भीतर तृतीय पक्षकार को विक्रय स्वयं के उपयोग के मामले में विद्युत क्रय अनुबन्ध विद्युत उत्पादक और प्राप्तकर्ता के मध्य आपसी सहमति द्वारा निर्धारित दरों पर निष्पादित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर से विद्युत क्रय की दशा में विकासकर्ता द्वारा उत्तराखण्ड में लागू हरित ऊर्जा शेष का भुगतान भी करना होगा।
3. विद्युत की बैकिंग के लिए बैकिंग हेतु उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के साथ एक अलग अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। एक अलग व्हीलिंग अनुबन्ध अन्य ग्रिड या कार्य समूह अथवा विद्युत संचारण कारपोरेशन उत्तराखण्ड/उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के साथ जैसा उचित समझा जाये, निष्पादित किया जायेगा।

15. व्हीलिंग अधिभार

व्हीलिंग समय-समय पर उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग द्वारा यथा निर्णित लागू होगा।

16. ओपन ऐक्सेस

यदि किसी विकासकर्ता को ओपन ऐक्सेस से स्वीकृति दी गई है तो वह उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित क्षतियों और लागू आम पहुंच अधिभार का भुगतान करेगा। यद्यपि राज्य के भीतर तीसरे पक्षकार को ब्रिकी के लिए प्राप्त आम पहुंच हेतु छूट अधिभार लागू नहीं होगी।

17. तृतीय पक्षकार ब्रिकी

तृतीय पक्षकार ब्रिकी जिसके लिए क्रय दर विकासकर्ता और क्रेता के मध्य आपसी समझौते के अनुसार समय-समय पर विद्युत अधिनियम, 2003 और उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग के अनुरूप अर्ह होगी।

18. विद्युत के मीटर लगाये जाने

समय-समय पर मीटर लगाने का प्रबन्ध केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी (मीटरों का अधिष्ठापन और संचालन) विनियमन, 2006, ग्रिड संकेत, मीटर संकेत और इस संबंध में उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी अन्य सम्बन्धित विनियमनों के अनुरूप किया जा सकेगा।

19. विद्युत निर्वातन और ग्रिड अंतरापृष्ठीय सुविधा

विद्युत निर्वातन और ग्रिड अंतरापृष्ठीय सुविधा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित परिभाषित विनियमन/प्रक्रिया के अनुरूप होगा।

20. संयंत्र के अधिष्ठापन के लिए भूमि

1. अधिष्ठापन, भण्डारण और अन्य उपबन्धों जैसे कि विद्युत का निर्वातन, कर्मचारियों के आवास के लिए अपेक्षित भूमि का प्रबन्ध इत्यादि विकासकर्ता द्वारा स्वयं की जायेगी।
2. 100 किलोवाट तक की विद्युत परियोजना के लिए अनुमत अधिकतम भूमि लगभग एक हजार वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी एवं 250 किलोवाट तक की विद्युत परियोजनाओं के लिये अधिकतम भूमि 2000 वर्ग मीटर होगी।

21. परियोजना के वाणिज्य प्रवर्तन हेतु समय सारणी

विभिन्न गतिविधियों के लिए आवेदन करने से लेकर परियोजना के वाणिज्यिक प्रर्वतन के प्रारम्भ तक की समय अनुसूची निम्न प्रकार होगी-

1. निविदा जारी तारीख (शून्य तारीख)- निविदा के लिए अधिसूचना
2. आवेदन पत्रों का जमा करना (शून्य तारीख 45 दिन)
3. निविदाओं का मूल्यांकन और राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन-(शून्य तारीख+75 दिन)
4. आवंटन पत्र का जारी किया जाना (शून्य तारीख+90 दिन)
5. प्रतिभूति का जमा करना और अनुबन्ध तथा आपसी समझौते पर हस्ताक्षर (शून्य तारीख+135 दिन)
6. अपेक्षित अनापत्ति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना (यदि कोई हो) (आवंटन जारी पत्र की तारीख+180 दिन)
7. वित्तीय समापन (आवंटन पत्र जारी करने की तारीख+300 दिन)
8. वाणिज्यिक संचालन तारीख (आवंटन पत्र जारी करने की तारीख+540 दिन)

22. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया

स्वीकृत परियोजनाओ के क्रियान्वयन की देख-रेख, मूल्यांकन और अनुश्रवण इस परियोजना के लिए संरचित जिला स्तरीय नियोजन एवं अनुश्रवण समिति **(परिशिष्ट-1)** द्वारा किया जायेगा।

23. पिरूल (चीड़ की झड़ी हुई पत्तियों) एवं अन्य बायोमास भंडारों की स्थापना

पिरूल (चीड़ की पत्तियों) चार माह की समिति अवधि के दौरान चीड़ के पेड़ों से गिरती है। इस प्रकार विद्युत संयंत्र की आवश्यकतानुसार पूरे वर्ष इसकी उपलब्धता के लिए आठ माह की अवधि हेतु भण्डारण किये जाने की आवश्यकता होगी। इसकी विशाल मात्रा होने की वजह से आग पकड़ने की सम्भावना के दृष्टिगत यह आवश्यक होगा कि विकासकर्ता संगृहीत कच्चे माल को यथा शीघ्र (एक सप्ताह के भीतर) भण्डारण क्षेत्र से परियोजना इकाई के स्थान तक परिवहन करना सुनिश्चित करें।

24. बीमा

इस नीति के अधीन आवंटित परियोजना के निष्पादन और संचालन के लिए सफल निविदादाता द्वारा अपनी लागत पर बीमा किया जायेगा।

25. विविध

1. उत्तराखण्ड में अवस्थित औद्योगिक ईकाईयों के आवेदन पत्र और स्वयं के प्रयोग के लिए पिरूल (चीड़ की झड़ी हुई पत्तियों) पर आधारित विद्युत संयंत्र, ब्रिकेटिंग अथवा बायो आयल इकाई स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति इस नीति में उल्लिखित अन्य शर्तों और निर्बन्धनों के पूर्ण करने के अध्यधीन चयन प्रक्रिया से गुजरे बिना सीधे स्वीकार किये जा सकेगें।

2. उत्तराखण्ड की सरकार में किसी राज्य स्वामित्व उपक्रम को कोई परियोजना आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
3. वाणिज्यिक संचालन की तारीख से एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक फर्म/कम्पनी में निदेशकों को बदलने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी। फर्म में किसी निदेशक की मृत्यु होने की दशा में नोडल अभिकरण के अनुमोदन के पश्चात् नया निदेशक नियुक्त किया जा सकेगा।
4. जे0वी/कान्सोर्टियम के मामले में केवल एक मुख्य सदस्य होगा जो कन्सोर्टियम/जे0वी0 में कुल अंश का 26 प्रतिशत उपलब्ध करायेगा और इस प्रकार कन्सोर्टियम/जे0वी0 के अन्य सदस्यों द्वारा पदाविहित किया जायेगा तथा परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख के एक वर्ष तक परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
5. परियोजना के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष तक किसी अन्य विकासकर्ता को परियोजना स्थल के बदलने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी मामले में कोई विकासकर्ता किसी कारण से किसी कारण से किसी अन्य विकासकर्ता को उक्त अवधि से पूर्व परियोजना का विक्रय/अन्तरण करता है तो परियोजना का आवंटन निरस्त हो जायेगा और जमा प्रतिभूति जब्त हो जायेगी। अग्रत्तर यह भी कि सम्बन्धित स्थल के लिए विद्यमान नीति के अनुरूप नयी निविदा आंमत्रित की जायेगी।
6. राजपत्र में इस नीति के प्रकाशन की तारीख से पूर्व आवंटित परियोजनाएं नियमित रूप से जिस नीति के अन्तर्गत उन्हें आवंटित किया गया था से आच्छादित रहेगी और इस नीति के अन्तर्गत वे लाभ के लिए अर्ह नही होगें।
7. बिना वैध कारणों से विहित समय सूची के अनुरूप आवंटित परियोजना के विभिन्न स्तरों की पूर्णता को प्राप्त करने में किसी विकासकर्ता के मामले में जमा प्रतिभू जब्त कर ली जायेगी और आवंटन निरस्त हो जायेगा।
8. आवंटन की तारीख से 20 वर्ष की अवधि के लिए विकासकर्ता को परियोजना दी जायेगी और उसके अंत में उत्तराखण्ड की सरकार को समस्त उपस्कर, मशीने, निष्क्रान्त, प्रबन्धन और अन्य सुविधाएं वापस हो जायेगी।
9. यथा सम्भव वन पंचायत, स्थानीय समुदाय स्थानीय स्वयं सहायता समूह, सी0बी0ओ0 को वनों की सतह से पिरूल (चीड़ की झड़ी हुई पत्तियाँ) संकलित करने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी।

26. <u>नीति के उपबन्धों का संशोधन/शिथिलीकरण/अर्यान्वयन</u>

सरकार को इस नीति के अधीन प्राविधानों को संशोधन/शिथिलीकरण/अर्यान्वयन करने की पूर्ण शक्ति होगी।

परिशिष्ट-1

<u>जिला स्तरीय नियोजन एवं अनुश्रवण समिति</u>

I)	जिला मैजिस्ट्रेट-	अध्यक्ष
II)	सम्बन्धित खण्डीय वन अधिकारी-	सदस्य
III)	सामान्य प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र-	सदस्य
IV)	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड विद्युत कार्पोरेशन लिमिटेड-	सदस्य
V)	लीड बैंक अधिकारी-	सदस्य
VI)	जिला प्रभारी, उरेडा-	संयोजक

परिशिष्ट-2 ए

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण

(वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

ऊर्जा पार्क परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर, देहरादून,248001

फोनः 0135-2521553, फैक्सः 0135-2521386

ई मेलः st.uredahq@gmail.com, Wedsite: www.ureda.uk.gov.in

आवेदन द्वारा पिरूल एवं अन्य बायोमास से विद्युत उत्पादन परियोजना हेतु प्रस्तावों को जमा करने के लिये आवेदन पत्र

I-संयुक्त उद्यम/कान्सोर्टियम अथवा अन्य आवेदक का विवरण		
1. आवेदक का नाम		
2. पूर्ण पताः		
3. कार्यालय विवरण		
(क) टेलीफोन संख्या		
(ख) फैक्स संख्या/ईमेल पताः		
4-सी0बी0ओ0 का नाम (संयुक्त उद्यम/ कान्सोर्टियम की दशा में)		
II- संयुक्त उद्यम/कान्सोर्टियम सहभागियों का विवरण (अगर आवश्यक हों)		
(1) संयुक्त उद्यम/कान्सोर्टियम का नाम		
(2) संयुक्त उद्यम/कान्सोर्टियम भागीदार निम्न में से कौन हैः		
अ) उत्तराखण्ड की सोसाइटी (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत)		
ब) उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम, 1965 के अधीन इकाई।		
स) उत्तराखण्ड आत्म निर्भर सहकारी समिति के तहत पंजीकृत इकाई।		
द) स्वामित्व/भागीदारी/प्रा0लि0 फर्म जो उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत हो।		
य) उत्तराखण्ड के जिलाउद्योग कार्यालयों		

में पंजीकृत उद्योग, रेजिंन इकाईयों सहित।			
III-संयुक्त उद्यम/कान्सोर्टियम में साझेदारी (कृपया संयुक्त उद्यम/कान्सोर्टियम समझौता प्रस्तुत करें)	क्र0सं0	संयुक्त उद्यम/कान्सोर्टियम के सदस्य	संयुक्त उद्यम/कान्सोर्टियम में हिस्सेदारी % में
IV-अप्रतिदेय आवेदन/प्रशंसकरण शुल्क का विवरण (क)धनराशि रू0 में (ख) डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या (ग) दिनांक (घ) बैंकर का नाम व पता			
V- प्रस्तावित परियोजना स्थल			
(क) वन रेंज/कम्पार्टमेंट का नाम			
(ख) निकटतम ग्राम का नाम			
(ग) प्रस्तावित स्थल के अक्षांश व देशान्तर			
(घ) उपलब्ध क्षेत्रफल (स्कवायर मी0 में खसरा न0 के साथ) (कृपया स्थल का ले-आउट व नक्शा भी संलग्न करें)			
(ड.) ब्लाक एवं तहसील			
(च) जिला			
VI-प्रस्तावित क्षमता			
1.(क) प्रस्तावित क्षमता (कि0वा0 में)			
(ख) प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन (यूनिट में)			
2. प्रस्तावित विद्युत संयंत्र के अधीन स्थापित करने के लिए-			
(क) डिस्काम को विद्युत विक्रय (यूपीसीएल):			
(ख) स्वयं (कैप्टिव) उपयोग:			
(ग) तृतीय पक्ष को विद्युत का बिक्रय:			
(घ) ओपन एसएस के माध्यम से अन्य राज्यों को विद्युत का ब्रिकय:			
(ड.) अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र प्रणाली (यदि हां, तो किसके लिए प्रस्तावित परियोजना से विद्युत उत्पादन बिक्रय होगा और किन दरों पर):			
VII- विद्युत विवरण			
1. प्रस्तावित संयंत्र के लिये विद्युत और			

निकासी योजना/अन्तर संयोजन की सुविधा का संचरण			
2. प्रस्तावित विद्युत संयंत्र से डिस्काम के निकटतम सब स्टेशन की दूरी			
VIII- तकनीकी विवरण			
आवेदकों द्वारा संयंत्र और मशीनों की आपूर्तिदाता फर्म के साथ तकनीकी समन्वय का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना होगा। इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ पूर्ण तकनीकी विवरण की सूचना जमा की जानी होगी।			
IX- वित्तीय विवरण			
1. परियोजना की कुल अनुमानित लागत (लाख रू0 में)			
2. प्रस्तावित ऋण एवं इक्यूटी (रू0लाख में)			
3. वित्तीय क्षमता के लिये चार्टेड एकाउन्टेट से नेटवर्थ का प्रमाण पत्र अथवा बैंक द्वारा जारी हेसियत प्रमाण पत्र (रू0लाख में)			
X-संलग्न अभिलेख (जैसा लागू हो)			
i. कम्पनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की प्रमाणित प्रति।			
ii. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860/उत्तरप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों के मामले में उपविधियों की प्रमाणित प्रति।			
iii. निगमन या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।			
iv. जे0वी0/प्रस्तावक के मामले में संयुक्त निविदा अनुबन्ध।			
v. उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा/उत्तराखण्ड विद्युत कार्पोरेशन लिमिटेड/वन विभाग/डिसकोम के साथ आपसी समझौता/अनुबन्ध निष्पादित करने के लिए सक्षम व्यक्तियों को प्रदत्त शक्ति की प्राधिकार की प्रमाणित प्रति।			
i. निदेशक उरेडा के पक्ष में देहरादून में देय प्रक्रिया शुल्क रू0 2000/-मात्र मांग ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....के रूप में।			
ii. परियोजना रिपोर्ट जिसमें परियोजना स्थल, विद्युल तन्त्र का विवरण, प्रस्तावित लागत, पिरूल एकत्रीकरण विवरण, मूल्य आर्थिकी विवरण आदि उपलब्ध हों, को आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।			
iii. संयंत्र और मशीनों की आपूर्तिदाता फर्म के साथ तकनीकी समन्वय का साक्ष्य की प्रति।			
iv. चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा नेटवर्थ हेतु जारी प्रमाण पत्र अथवा वित्तीय सक्षमता की पुष्टि में बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।			
घोषणाः			
i- मैं/हम यह प्रमाणित करते है कि दी गयी समस्त जानकारी मेरे/हमारे संज्ञान के अनुरूप सही है।			
ii- मैं/हम सहमत है कि परियोजना को आवंटित किये जाने के लिए उत्तराखण्ड की सरकार/उरेडा अंतिम प्राधिकारी है।			
iii- परियोजना को आवंटित न किये जाने के लिए उत्तराखण्ड की सरकार/उरेडा से मेरा/हमारा कोई विवाद नही होगा।			

iv- मैं/हम उत्तराखण्ड की सरकार/उरेडा/वन विभाग/डिस्काम के साथ आवश्यक अनुबंध हस्ताक्षर करने के लिए सहमत है।
v- इन चीड़ पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) एवं अन्य प्रकार के जैव-ईधनों से विद्युत उत्पादन नीति-2018 में विहित शर्तों और निर्बन्धों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध है।
संस्था के प्राधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर
स्थानः दिनांकः

परिशिष्ट-2 बी

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण

(वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

ऊर्जा पार्क परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर, देहरादून,248001

फोनः 0135-2521553, फैक्सः 0135-2521386

ई मेलः st.uredahq@gmail.com, Wedsite: www.ureda.uk.gov.in

वित्तीय प्रस्ताव

पिरूल एवं अन्य बायोमास परियोजना से विद्युत उत्पादन के लिये लेबलाइज टैरिफ का प्रस्ताव

आवेदको/निविदादाता का नाम		
लेबलाइज टैरिफ के लिये प्रस्ताव		
क) प्रस्तावित परियोजना की क्षमता कि0वा0 में (शब्दों एवं अंकों में)		
ख) 20 वर्षो के लिये प्रस्तावित लेबलाइज फिक्स टैरिफ (रू0 प्रति kwh में)	**धनराशि रू0 प्रति kwh में**	
	अंको में	**शब्दों में**
अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित		
स्थानः दिनांकः		

टिप्पणी:-

1. आवेदक को केवल उपरोक्त प्रारूप में लेबलाइज फिक्स टैरिफ इन्टरकनेक्शन प्वाइट तक उद्धरत करना है। प्रत्येक वर्ष के लिये यू0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित परिवर्तनीय दर मान्य होगा।
2. रू0 प्रति kwh में उद्धरत लेबलाइज फिक्स टैरिफ तीन दशमलब अंक तक उपलब्ध करना होगा।
3. लेबलाइज फिक्स टैरिफ माननीय यू0ई0आर0सी0 द्वारा UERC (Tariff and Other Terms for supply of Electricity from Renewable Energy Sourees and-fossil fuel bascd Co-generating Stations Regulations 2013) में निर्धारित टैरिफ से अधिक नही होगा।
4. इस प्रारूप के सभी पृष्ठो को अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
5. इस प्रारूप की अन्तर्वरतु को स्पष्ट रूप से टाईप किया जायेगा।
6. अंको एवं शब्दों में उद्धरत टैरिफ में किसी भी तरह की विसंगत होने पर शब्दो में दिये गये दरों को मान्य माना जायेगा।

परिशिष्ट-3

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण

(वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
ऊर्जा पार्क परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर, देहरादून,248001
फोनः 0135-2521553, फैक्सः 0135-2521386
ई मेलः st.uredahq@gmail.com, Wedsite: www.ureda.uk.gov.in

पिरूल एवं अन्य बायोमास से ब्रिकेटिंग तथा बायो आयल परियोजना हेतु प्रस्तावों के लिये आवेदन पत्र

1. आवेदक/संस्था का नाम			
2. पूर्ण पताः			
3. कार्यालय विवरण			
(क) टेलीफोन संख्या			
(ख) फैक्स संख्या/ईमेल पताः			
4-सी0बी0ओ0 का नाम (संयुक्त उद्यम/ कान्सोर्टियम की दशा में)			
5-संयुक्त उद्यम/कान्सोर्टियम सहभागियों का विवरण (अगर आवश्यक हों)			
6-संयुक्त उद्यम भागीदारी निम्न में से कौन हैः			
क) उत्तराखण्ड की सोसाइटी (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत)			
ख) उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम, 1965 के अधीन इकाई।			
ग) उत्तराखण्ड आत्म निर्भर सहकारी समिति के तहत पंजीकृत इकाई।			
घ) स्वामित्व/भागीदारी/प्रा0लि0 फर्म जो उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत हो।			
ड.) उत्तराखण्ड के जिलाउद्योग कार्यालयों में पंजीकृत उद्योग, रेजिंन इकाईयों सहित।			
7-संयुक्त उद्यम/कान्सोर्टियम में साझेदारी (कृपया संयुक्त उद्यम/कान्सोर्टियम समझौता प्रस्तुत करें)	क्र0सं0	संयुक्त उद्यम/कान्सोर्टियम के सदस्य	संयुक्त उद्यम/कान्सोर्टियम में हिस्सेदारी % में
8-अप्रतिदेय आवेदन/प्रशंसकरण शुल्क का विवरण (क)धनराशि रू0 में (ख) डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या (ग) दिनांक (घ) बैंकर का नाम व पता			

9- प्रस्तावित परियोजना स्थल			
(क) वन रेंज/कम्पार्टमेंट का नाम			
(ख) निकटतम ग्राम का नाम			
(ग) प्रस्तावित स्थल के अक्षांश व देशान्तर			
(घ) उपलब्ध क्षेत्रफल (स्कवायर मी0 में खसरा न0 के साथ) (कृपया स्थल का ले-आउट व नक्शा भी संलग्न करें)			
(ड.) ब्लाक एवं तहसील			
(च) जिला			
10-प्रस्तावित क्षमता			
1.(क) प्रस्तावित क्षमता (मि0टन में)			
(ख) प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन (मि0टन में)			
2. ब्रिकेट/बायो आयल की खपत स्वयं की जायेंगी अथवा अन्य को विक्रय किया जायेगा			
11-संलग्न अभिलेख (जैसा लागू हो)			
i. परियोजना रिपोर्ट जिसमें परियोजना स्थल, विद्युल तन्त्र का विवरण, प्रस्तावित लागत, पिरूल एकत्रीकरण विवरण, मूल्य आर्थिकी विवरण आदि उपलब्ध हों, को आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।			
ii. जे0वी0/प्रस्तावक के मामले में संयुक्त निविदा अनुबन्ध।			
iii. उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा/उत्तराखण्ड विद्युत कार्पोरेशन लिमिटेड/वन विभाग/डिसकोम के साथ आपसी समझौता/अनुबन्ध निष्पादित करने के लिए सक्षम व्यक्तियों को प्रदत्त शक्ति की प्राधिकार की प्रमाणित प्रति।			
iv. निदेशक उरेडा के पक्ष में देहरादून में देय प्रक्रिया शुल्क रू0 2000/-मात्र मांग ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....के रूप में।			
v. संयंत्र और मशीनों की आपूर्तिदाता फर्म के साथ तकनीकी समन्वय का साक्ष्य की प्रति।			
vi. चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा नेटवर्थ हेतु जारी प्रमाण पत्र अथवा वित्तीय सक्षमता की पुष्टि में बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।			
घोषणाः			
i. मैं/हम यह प्रमाणित करते है कि दी गयी समस्त जानकारी मेरे/हमारे संज्ञान के अनुरूप सही है।			
ii. मैं/हम सहमत है कि परियोजना को आवंटित किये जाने के लिए उत्तराखण्ड की सरकार/उरेडा अंतिम प्राधिकारी है।			
iii. परियोजना को आवंटित न किये जाने के लिए उत्तराखण्ड की सरकार/उरेडा से मेरा/हमारा कोई विवाद नही होगा।			
iv. मैं/हम उत्तराखण्ड की सरकार/उरेडा/वन विभाग/डिस्काम के साथ आवश्यक अनुबंध हस्ताक्षर करने के लिए सहमत है।			
v. इन चीड़ पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) एवं अन्य प्रकार के जैव-ईधनों से विद्युत उत्पादन नीति-2018 में विहित शर्तों और निर्बन्धों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध है।			

संस्था के प्राधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर
स्थानः दिनांकः

परिशिष्ट-4

तकनीकी मूल्य निर्धारण समिति

i. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	अध्यक्ष
ii. अपर निदेशक (उद्योग)	सदस्य
iii. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड विद्युत कार्पोरेशन लिमिटेड	सदस्य
iv. अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास	सदस्य
v. मुख्य अभियन्ता, पिटकुल	सदस्य
vi. मुख्य परियोजना अधिकारी, उरेडा	संयोजक

परिशिष्ट-5

परियोजना अनुमोदन समिति

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव (ऊर्जा)	सदस्य
3. प्रमुख सचिव/सचिव (वन)	सदस्य
4. प्रमुख सचिव/सचिव (राजस्व)	सदस्य
5. प्रमुख सचिव/सचिव (उद्योग)	सदस्य
6. प्रमुख सचिव/सचिव (ग्राम्य विकास)	सदस्य
7. प्रमुख सचिव/सचिव (वित्त)	सदस्य
8. प्रमुख वन संरक्षक	सदस्य
9. प्रबन्धक निदेशक, उत्तराखण्ड विद्युत कार्पोरेशन लिमिटेड	सदस्य
10. निदेशक, उरेडा	संयोजक

परिशिष्ट-6

समझौता ज्ञापन

(रू0 200/-गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

यह समझौता ज्ञापन इस.....दिन.....201..... को पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) तथा अन्य प्रकार के बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु नीति-2018 (इसे बाद में नीति कहा जायेगा) के प्राविधान के अन्तर्गत निम्नवत के बीच हस्ताक्षर किया गया हैः-

.....(अर्ह आवेदक का नाम) चयनित क्षेत्र के अपने ..... (प्रतिनिधि का नाम) के माध्यम से जो कि..... (धारा संख्या 5(1) में प्रख्यात वर्ग में पंजीकृत) जिनका कार्यालय पता.....है (इसे "विकासकर्ता" कहा जायेगा)

या

.....(संयुक्त उद्यमी सहयोगी का नाम) जो कि .....(अर्ह इकाई का नाम)..... (धारा संख्या 5(1) में प्रख्यात वर्ग में पंजीकृत) अपने.....(प्रतिनिधि का नाम) के माध्यम से जिनका कार्यालय पता..... है एवं.....(सी0बी0ओ0 का नाम एवं पता) अपने अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता..... (अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता का नाम) (इसे "विकासकर्ता" कहा जायेगा)

और

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) अपने.....(सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी का नाम) जिसका कार्यालय पता..... (सम्बन्धित जनपदीय उरेडा कार्यालय का पता) जिसका मुख्यालय ऊर्जा पार्क, इन्डस्ट्रीयल एरिया, पटेलनगर, देहरादून-248001 में है। (इसे बाद में "उरेडा" कहा जायेगा)

और

वन विभाग उत्तराखण्ड सरकार अपने.....(सम्बन्धित खण्डनीय वन अधिकारी का नाम) जिसका कार्यालय पता.....मै है। (इसे बाद में "वन विभाग" कहा जायेगा)

इस ज्ञापन के समझौते में वन विभाग, उरेडा और विकासकर्ता के बीच जिम्मेदारी सर्मथन और सहयोग का व्यापक ढांचे से विकासकर्ता को मि0टन पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) तथा अन्य प्रकार के बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना अथवा ब्रिकेटिंग/बायो आयल परियोजना की स्थापना में सहयोग करना है।

1. <u>पृष्ठभूमि</u>

विकासकर्ता को उरेडा के आवंटन पत्र संख्या.....दिनांक.....द्वारा.....कि0वा0 पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) तथा अन्य प्रकार के बायोमास आधारित परियोजना या..... मैट्रिक टन पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) तथा अन्य प्रकार के बायोमास आधारित ब्रिकेटिंग/बायो आयल परियोजना की स्थापना हेतु आवंटित किया गया है।

2) <u>समय सारणी</u>

i) विकासकर्ता, द्वारा आवंटन पत्र जारी होने के छः माह के भीतर प्रस्तावित परियोजना हेतु अपेक्षित संविधिक,अनापत्ति और अनुमोदन (यदि कोई हो) उपलब्ध कराये जायेगे।

ii) विकासकर्ता आवंटन पत्र जारी होने के तारीख से दस माह के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त करेगा। वित्तीय समापन से आशय फर्म द्वारा सभी पूर्व वितरण शर्तों को पूर्ण करने के साथ सम्पूर्ण परियोजना के वित्त को पूरा करने के लिए होगा।

iii) परियोजना, आवंटन पत्र की तिथि के पश्चात 18 माह की अवधि के भीतर पूर्ण और चालू की जायेगी।

iv)यदि किसी मामले में कोई विकासकर्ता निर्धारित समय में अनापत्ति/अनुमोदन प्राप्त करने या वित्तीय समापन प्राप्त करने या परियोजना को प्रारम्भ करने में असफल रहता है तो उरेडा उसके आवंटन पत्र को निरस्त करने और प्रतिभू धनराशि को जब्त करने पर विचार कर सकता है।

3. <u>विकासकर्ता की भूमिका एवं उत्तरदायित्व</u>

i) बायोमास आधारित परियोजनाओं के अधिष्ठापन से पूर्व विकासकर्ता से विभिन्न विभागों यथा पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, राजस्व विभाग, वन पंचायत, औद्योगिक विभाग इत्यादि से अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त करना होगा।

ii) विकासकर्ता को समय-समय पर वन विभाग के स्थायी आदेश और दिशा-निर्देशो के अनुसार आवंटिन परियोजना को स्थापित किया जायेगा।

iii) विकासकर्ता पिरूल तथा अन्य बायोमास को एकत्र और संग्रह कर परियोजना के निरन्त संचालन हेतु जिम्मेदार होगा।

iv) स्थापना, भण्डारन और अन्य प्राविधानों जैसे बिजली, स्टाफ क्वाटर आदि के निर्माण हेतु जरूरी भूमि की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा स्वयं की जायेगी।

v) विकासकर्ता नीति के तहत आवंटित परियोजना के निष्पादन एवं संचालन हेतु बीमा करायेगा।

vi) विकासकर्ता स्वयं के व्यय से सुनिश्चित करेगा कि परियोजना में विद्युत उत्पादन अथवा ब्रिकेटिंग/बायो आयल उत्पादन सभी सहमति/स्वीकृति/परमिट और समझदारी उपयोगिता शर्तो सहित सभी कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार किया जायेगा, जिससे की यू0पी0सी0एल0 की ग्रिड प्रणाली, वन विभाग और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर न हो।

vii) उरेडा/वन विभाग/उत्तराखण्ड सरकार किसी भी दावें के लिये उत्तरदायी नही होगा जो किसी भी नुकसान, परियोजना कार्यो, व्यक्तिगत चोट या सर्वेक्षण, परियोजना के निष्पादन, रख-रखाव पिरूल/अन्य बायोमास के संग्रह के दौरान आदि व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो।

viii) नीति के खण्ड 15 के अनुसार स्वीकार प्रोत्साहन, विकासकर्ता को प्रतिस्पर्धी विभाग/संगठन से स्वीकृति प्राप्त होते ही दे दिया जायेगा। उरेडा/वन विभाग किसी भी प्रोत्साहन को मिलने में देरी या नीति में प्रस्तावित किसी भी प्रोत्साहन के न मिलने पर जिम्मेदार नही होगा।

ix) विकासकर्ता द्वारा नीति में प्रख्यात क्रियान्वयन कार्यक्रम के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन जायेगा।

4. <u>उरेडा की भूमिका और जिम्मेदारी</u>

उरेडा नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा निम्नलिखित भूमिकाओं के लिये जिम्मेदार होगाः-

i) परियोजना के निष्पादन के दौरान निगरानी एवं परिवेक्षण।

ii) विकासकर्ता को आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान करना।

iii) केन्द्रीय या राज्य सरकार से अनुदान/प्रोत्साहन (यदि कोई हो) को प्राप्त कनरे में सहायता प्रदान करेगा।

iv) बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना, ब्रिकेटिंग/बायो आयल परियोजना की स्थापना हेतु सम्बन्धित मामलो पर विकासकर्ता को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों पर समर्थन देना।

v) विकासकर्ता को पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) तथा अन्य प्रकार के बायोमास से विद्युत उत्पादन नीति के तहत उपलब्ध प्रोत्साहन/लाभ प्राप्त करने हेतु सुविधाजनक बनाना।

5. <u>वन विभाग की भूमिका और जिम्मेदारी</u>

वन विभाग इस नीति के अन्तर्गत नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा एवं निम्नवत् के लिये जिम्मेदार होगा।

I. चीड़ (पिरूल) की निकासी हेतु चीड़ (पिरूल) के एकत्रीकरण के क्षेत्र चिन्हित करना तथा विकासकर्ताओं को आवश्यकता के अनुसार चीड़ (पिरूल) एकत्र करने हेतु सहमति देना।

II. भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 26(2) के अनुसार चिन्हित क्षेत्रों से बायोमास एकत्र करने हेतु सम्बन्धित वन पंचायतों को जैव-ईधन की निकासी हेतु अनुमति प्रदान करना।

III. वन पंचायतों तथा सम्बन्धित परियोजना ईकाइ के मध्य संयोजन का अनुश्रवण करना।

IV. चीड़ (पिरूल) की निकासी हेतु शासनादेश संख्या-6574/x-3-07-21(29)/2007 में दिये गये प्राविधान के अनुसार विकासकर्ताओं से निर्धारित रायल्टि दर रू0 20.00 प्रति मीट्रिक टन की दर से शुल्क प्राप्त करना।

V. वन पंचायत क्षेत्रों के अतिरिक्त संरक्षित एवं आरक्षित क्षेत्रों से वन उपज की निकासी हेतु वन विभाग द्वारा जारी शासनादेशों के अनुसार रायल्टि (20 रू0 प्रति टन) प्राप्त कर राजस्व में जमा कराया जाना तथा वन उपज की निकासी के लिये शासनादेश संख्या-1872/x-2-2016-21(09)/2015 के अनुसार ट्रांजिट फीस नहीं लिया जाना।

VI. वन पंचायत क्षेत्रों में एकत्रित किये गये पिरूल/लैन्टाना के सापेक्ष विकासकर्ता से प्राप्त रायल्टि (20 रू0 प्रति टन) को वन पंचायत के खाते में जमा किया जाना तथा उक्त धनराशि का उपयोग वन पंचायत नियमावली 2005 की धारा 30 के अनुसार किया जाना।

VII. पिरूल/लैन्टाना के एकत्रीकरण हेतु दरों का निर्धारण विकासकर्ता एवं ग्रामवासियों के मध्य आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित कराया जाना।

VIII. वन पंचायतों द्वारा संगृहीत पिरूल/लैन्टाना का भण्डारण वन भूमि में नही किया जायेगा। उक्त भण्डारण सामग्री को विकासकर्ता के द्वारा एक सप्ताह के भीतरउठाने की व्यवस्था कराया जाना, ताकि इस भण्डारित ज्वलनशील पदार्थ से अग्नि दुर्घटना न होने पाये। पिरूल/लैन्टाना का अभिवहन वन क्षेत्र में पूर्व से उपयोग में लाये जा रह मार्गो पर ही किया जाना।

IX. पिरूल/लैन्टाना उठाने तक पिरूल/लैन्टाना की सुरक्षा का दायित्व सम्बन्धित वन पंचायत को दिया जाना।

X. वन उपज के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा Arbitrator के रूप में विवाद का निपटारा किया जाना, जो सभी सम्बन्धित पक्षों को मान्य होगा।

6. <u>धरोहर धनराशि</u>

इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व विकासकर्ता निम्नलिखित धरोहर धनराशि जमा करेगा।

i) विद्युत उत्पादन परियोजना के सफल निविदादाता को एक हजार रू0 प्रति कि0वा0 की धनराशि एवं ब्रिकेट ईकाइ के सफल निविदादाता को रू0 100 प्रति मी0टन0 क्षमता के अनुसार ब्रिकेट ईकाइ की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी।

ii) प्रतिभूति धनराशि देहरादून में देय निदेशक उरेडा के पक्ष में किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट, एफ0डी0आर0,सी0डी0आर0 अथवा बैंक गारन्टी के रूप में होगी।

iii) बैंक प्रतिभूति परियोजना के सफल वाणिज्यिक संचालन की तारीख के पश्चात् सफल विकासकर्ता को वापस कर दी जायेगी।

7. <u>कठिनाईयों को निराकरण करने की शक्ति</u>

सभी पार्टीयों इस समझौता ज्ञापन के प्राविधानो का पालन करेगी एवं सम्बन्धित दायित्वों का निर्वाहन करेगी। इस समझौता ज्ञापन को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन होती है तो उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव मामले के स्पष्टीकरण के साथ-साथ ऐसे उपबन्धों के अर्थान्वयन जैसा कि इसके स्वयं के प्रस्ताव पर किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक हो या किसी उपबन्ध में परिवर्तन के लिए किसी पक्षकारों के प्रतिनिधियों को सुनने के पश्चात एक माह के भीतर निराकरण करने के लिए प्राधिकृत है।

8. <u>सम्पर्क हेतु पता</u>

वन विभाग	उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)	विकासकर्ता
सम्बन्धित खण्डनीय वनाधिकारी के कार्यालय का पता दूरभाष एवं ई-मेल सहित	सम्बन्धित जनपदीय उरेडा कार्यालय का पता	....

साक्ष्य, पार्टीयों ने इस ज्ञापन को उनके अधिकृत अधिकारियों द्वारा लिखित तारीख को निष्पादित किया है।

वन विभाग की ओर से की ओर से	उरेडा की ओर से	विकासकर्ता
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....		
.....		
.....		

गवाह	गवाह	गवाह
1	1	1
2	2	2

परिशिष्ट-7

पाईन नीडिल आधारित विद्युत उत्पादन पावर प्लान्ट के लिये सम्भावित मूल्य-आर्थिकी का विवरण

ए	**सामान्य विवरण**	**इकाईयां**	**आंकडे**
ए 1	क्षमता	कि0वा0	25
ए 2	परियोजना की लागत (अनुमानित)	रू0 में	25,00,000
ए 3	मा0 यू0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित दरें (प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बदल जायेंगी)	रू0/यूनिट	536
ए 4	सहायक खपत (अनुमानित)	%	5
ए 5	अनुमानित सी0यू0एफ0 अगर 16 घण्टे प्रतिदिन संयंत्र का संचालन	%	64
ए 6	अनुमानित संचालन एवं रख-रखाव (परियोजना लागत की 5% की दर से)	रू0 में	1,25,000
ए 7	संयंत्र की आयु	वर्ष	20
बी	**परियोजना की लागत का विवरण**		
बी 1	कुल परियोजना लागत	रू0 में	25,00,000
बी 2	एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार से अनुमन्य अनुदान (अगर उपलब्ध है तो) @18000 प्रति कि0वा0 की दर से	रू0 में	4,50,000
बी 3	एम0एस0एम0ई0, उत्तराखण्ड सरकार से अनुमन्य अनुदान (अगर उपलब्ध है तो) कुल परियोजना लागत की 40%	रू0 में	10,00,000
बी 4	लाभार्थी द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि	रू0 में	10,50,000
सी	**विद्युत उत्पादन का विवरण**		
सी 1	अनुमानित वार्षिक उत्पादन @64% सी0यू0एफ0 पर	यूनिट में	1,40,160
सी 2	अनुमानित वार्षिक विद्युत विक्रय, (सहायक विद्युत खपत के बाद)	यूनिट में	1,33,152
डी	**कुल राजस्व प्राप्ति का विवरण**		
डी 1	विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व	रू0 में	7,13,695
डी 2	अनुमानित चारकोल का उत्पादन (पाईन निडिल की खपत का 10%)	किलो ग्राम	21,024
डी 3	चारकोल की बिक्री से प्राप्त राजस्व (अनुमानित रू0 10/- प्रति किलो ग्राम की दर से)	रू0 में	2,10,240
डी 4	कुल प्राप्त राजस्व धनराशि	रू0 में	9,23,935
ई	**संयंत्र के संचालन में होने वाला व्यय**		
ई 1	वार्षिक संचालन एवं रख-रखाव में होने वाला व्यय (कुल परियोजना की लागत का 5%)	रू0 में	1,25,000
ई 2	अतिरिक्त वार्षिक मानव शक्ति पर व्यय (4 तकनिशियन/लेबर @6000 प्रति तकनिशियन प्रति माह)	रू0 में	2,88,000
ई 3	कुल संचालन एवं रख-रखाव में होने वाला व्यय	रू0 में	4,13,000
एफ	**ईधन (पाईन नीडिल पर व्यय)**		
एफ 1	पाईन नीडिल की खपत	कि0ग्रा0/यूनिट	1.5
एफ 2	पाईन नीडिल की वार्षिक खपत	कि0ग्रा0	2,10,240
एफ 3	उपयोग में नहीं लायी जाने वाली पाईन नीडिल	%	10
एफ 4	पाईन नीडिल का कुल संग्रह	कि0ग्रा0/ वर्ष	2,31,264
एफ 5	बायोमास गैसिफिकेशन तक पाईन नीडिल के संग्रह पर होने वाला व्यय	रू0/ कि0ग्रा0	1.5

एफ 6	पाईन नीडिल पर होने वाला वार्षिक व्यय	रू0 में	3,46,896
जी	**लाभ**		
जी 1	विकासकर्ता को वार्षिक लाभ	रू0 में	1,64,039
जी 2	धनराशि वापसी अवधि (Simple Payback)	वर्ष	6.40

नोटः

1. **उपरोक्त गणना परियोजना के 16 घण्टे प्रति दिन संचालन के आधार पर की गई है। वास्तविक लाभ परियोजना के संचालन की अवधि बढ़ने से बदल सकती है।**
2. **केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से अनुमन्य अनुदान इस गणना में लिया गया है। यह गणना अनुदान की उपलब्धता न होने पर बदल सकती है।**
3. **चारकोल की कीमत बाजार में रू0 10 से रू0 20/-प्रति कि0ग्रा0 होती है। इस गणना में चारकोल की कीमत रू0 10/-प्रति कि0ग्रा0 ली गई है।**
4. **परियोजना स्थल के अनुसार मानव भक्ति पर होने वाले व्यय में बदलाव सम्भव है।**

उरेडा के जनपदीय कार्यालयों के अधिकारियों के नाम, पते, दूरभाष संख्या एवं ई-मेल पते का विवरण

क्र0सं0	जनपद	परियोजना कार्यालय को पता	फोन नं0/फैक्स	ई-मेल पता
1	देहरादून	कारगी ग्रांट, पो0ओ0 बंजारावाला, देहरादून	0135-2729676	uredaproject@gmail.com
2	हरिद्वार	विकास भवन, रोशनबाद हरिद्वार,	01334-239010	uredahwr@gmail.com
3	पौड़ी	विकास भवन, पौड़ी	01368-222292	ureda.pauri@gmail.com
4	टिहरी	तहसील परिसर, नरेन्द्र नगर, टिहरी	01378-227260	uredatehri@gmail.com
5	उत्तरकाशी	107, विकास भवन, उत्तरकाशी	01374-222538	ureda_uki@yahoo.in
6	रूद्रप्रयाग	विकास भवन, रूद्रप्रयाग	01364-233892	uredarudraprayag@gmail.com
7	चमोली	निकट पैट्रोल पम्प, गोपेश्वर, चमोली	01372-252423	ureda_chamoli@rediffmail.com
8	पिथौरागढ़	निकट प्राईगरी स्कूल, टकाना रोड, पिथौरागढ़	05964-225872	uredapth@yahoo.com
9	बागेश्वर	चौधरी भवन, नदी गांव, बागेश्वर	05963-221325	ureda_bgr@yahoo.com
10	नैनीताल	3/81,पन्त स्टेट मार्ग, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल	05946-221537	uredantl@gmail.com
11	अल्मोड़ा	जिला पंचायत भवन, धारनौला, अल्मोड़ा	05962-234016	alm.uredado@gmail.com
12	उधमसिंह नगर	जिला पंचायत भवन, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर	05944-247086	usn.uredado@gmail.com
13	चम्पवात	पाण्डे भवन, मादली, चम्पवात	05965-230794	uredacmp@gmail.com

नोडल एजेन्सी
उत्तराखण्ड वन विभाग
85, राजपुर रोड़, देहरादून
उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
ऊर्जा पार्क परिसर, पटेल नगर, देहरादून
Tel.: 0135-2521387,2521553 I e-mail : st.uredahq@gmail.com